

Mail

॥ कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर ॥

क्रमांक : स्था/55/2026/ 22135

दिनांक : 10 AUG 2026

: : आ दे श : :

इस न्यायक्षेत्र में कार्यरत निम्नांकित कार्मिकों को, प्रोसेस सर्वर के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) 2017 के तहत पे-मैट्रिक्स L-04 में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 5 के अनुसार पदोन्नत किया जाता है :-

क्र. सं.	पदोन्नत किये जाने वाले कार्मिक का नाम	पदोन्नति पर देय लेवल	वर्तमान पदस्थापन	विशेष टिप्पणी
1	2	3	4	5
1	श्री अमर सिंह मीणा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	L-04	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कठुमार	श्री अमर सिंह मीणा की नोशनल पदोन्नति दिनांक 01.07.2026 से की जाती है तथा उन्हें पदोन्नति के वास्तविक लाभ पदोन्नति आदेश के पश्चात पदभार ग्रहण करने की तिथि से देय होंगे।
2	श्रीमती गिणगौरी देवी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	L-04	अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1, अलवर	श्रीमती गिणगौरी देवी की नोशनल पदोन्नति दिनांक 01.07.2026 से की जाती है तथा उन्हें पदोन्नति के वास्तविक लाभ पदोन्नति आदेश के पश्चात पदभार ग्रहण करने की तिथि से देय होंगे।
3	श्री मनोज नरुका, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	L-04	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ़	श्री मनोज नरुका की नोशनल पदोन्नति दिनांक 01.07.2026 से की जाती है तथा उन्हें पदोन्नति के वास्तविक लाभ पदोन्नति आदेश के पश्चात पदभार ग्रहण करने की तिथि से देय होंगे।

- नोट :- 1- उक्त पदोन्नत कार्मिकों की मूल वरिष्ठता यथावत रहेगी।
2- उक्त पदोन्नति आदेश का इन्द्राज कर्मचारी की सेवापुस्तिका में किया जावे।
3- उक्त कर्मचारी के पदस्थापन आदेश पृथक से प्रसारित किये जावेंगे और तब तक उक्त कार्मिक अपने वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में ही कार्य करते रहेंगे।

sd-

(अनन्त भण्डारी)

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,

अ ल व र

क्रमांक : स्था/2026/ 22136-46

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कठुमार
2. अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1, अलवर
3. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ़
4. नाजिर, जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर
5. संबंधित कर्मचारी/लेखाशाखा/रक्षित पत्रावली
6. सिस्टम ऑफिसर को जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर की वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित न्यायालयों को ई-मेल करने हेतु।

3m

(अनन्त भण्डारी)

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,

अ ल व र